

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक- 119 / 963 / आउशि / बजट-अनु.शा.7 / 08

भोपाल, दिनांक- 22/11/09

प्रति,

प्राचार्य,  
शासकीय महाविद्यालय,  
नीचे दर्शाये अनुसार,  
मध्यप्रदेश

विषय- आदिवासी उपयोजना अंतर्गत शा0 महाविद्यालयों में खेलकूद प्रोत्साहन हेतु बजट आवंटन  
वित्तीय वर्ष 2008-09

उपर्युक्त विषय में महाविद्यालयों में खेलकूद प्रोत्साहन योजना अंतर्गत आपके महाविद्यालयों  
के सामुख दर्शित राशि का बजट आवंटन एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र0	शासकीय महावि0 का नाम	राशि
1.	शा0 तुलसी स्नातक महावि0 अनुपपूर	9000-00
2.	शा0 स्नातकोत्तर महावि0 बडवानी	9000-00
3.	शा0 जे.एच. स्नातको महावि0 बैतूल	10000-00
4.	शा0 महावि0 सारणी बैतूल	9000-00
5.	शा0 पंचवेली महावि0 परसिया जि0 छिन्दवाड़ा	9000-00
6.	शा0 स्नातको महावि0 धार	9000-00
7.	शा0 चन्द्रविजय महावि0 डिण्डौरी	9000-00
8.	शा0 शहीद चन्द्रशेखर स्नातको महावि0 झाबुआ	9000-00
9.	शा0 स्नातको महावि0 खरगौन	9000-00
10.	शा0 रानी दुर्गावती महावि0 मण्डला	9000-00
11.	शा0 नेहरू स्नातक महावि0 बुंदार जि0 शहडोल	9000-00
		1,00,000-00

कुलराशि रू0 एक लाख मात्र

- उपरोक्त राशि महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को खेलकूद प्रोत्साहन हेतु खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, छात्राओं के लिए जूडो कराटे, मार्शल आर्ट के उपकरण तथा अन्य आवश्यक खेल सामग्री कय हेतु नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करें। व्यय करते समय भण्डार कय नियमों तथा शासन के संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय की गई राशि का विवरण मय उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या से अनिवार्य रूप से अवगत करावें।
- उपर्युक्त राशि का व्यय मांग संख्या-41-2202-03-103-3446-0102-42-51-000 (महाविद्यालयों में खेलकूद प्रोत्साहन) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

निरतर...

5. उपरोक्त राशि का आहरण नियमानुसार सुनिश्चित करें। यदि वर्तमान वित्तीय वर्ष में राशि के बचत होने की संभावना हो तो तत्काल बी0सी0ओ0 कोड 3802 में, कोषालय के माध्यम से समर्पित करें।

6. किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय / भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

*Ashtin*

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

120

पृ0क0- /963 /आशिशि/बजट-अनु.शा.7/08

भोपाल, दिनांक- 22/1/09

प्रतिलिपि--

1. राज्य संपर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय सेवा योजना, मंत्रालय भोपाल।
2. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

*Sanjay*  
संयुक्त संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश